



प्रेस विज्ञप्ति



सडक दुर्घनाओ की रोकथाम बाबत राष्ट्रीय राजमार्गों पर जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक:-28.09.2022

श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2846-2900 दिनांक 26.04.2022 की पालना में श्री विनीत कुमार बंसल पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर, श्री गौरव यादव पुलिस उपायुक्त जिला पश्चिम जोधपुर एवं श्री चैनसिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के सुपरविजन में श्री रविन्द्र कुमार बोथरा सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम, श्री नरेन्द्र कुमार सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व, श्रीमती अंशु जैन सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रशासन जोधपुर के संयुक्त नेतृत्व में आज दिनांक 28.09.2022 को जोधपुर-बाड़मेर राष्ट्रीय राज मार्ग 112 पर स्थित ग्राम-बोरानाडा व ग्राम-डोली में श्री जब्बरसिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना झंवर एवं यातायात शिक्षा प्रभारी श्री हनुमानसिंह हैकानि 1201 मय टीम यातायात शिक्षा मोबाईल वैन के माध्यम से यातायात नियमों की विडियो क्लिप/ लघु फिल्म दिखाकर यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान सडक दुर्घटनाओं में मृत्यु के प्रमुख कारणों में पालतू/आवारा पशु होने के कारण पालतू पशुओं के मालिकों को इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी दी गई। सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पालतू पशु मालिकों व ग्रामीण आमजनों को पशुओं को सडकों पर से हटाने के आवश्यक उपाय करने बाबत समझाईस की गई। ग्रामीण आमजनों को सडक पर चढते व उतरते समय व सडक को पार करते समय रखी जाने वाली सावधानियों तथा गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने व आईएसआई मार्के के हैलमैट का प्रयोग करने व इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। तथा ग्रामीण आमजन व वाहन चालकों की रात्रिकालीन जानमाल की सुरक्षा हेतु अपने पालतू पशुओं को सडक पर नहीं छोडने की समझाईस के साथ पशुओं के सीगों पर लगाने के लिए रिफ्लेक्टर प्रदान किए।

(चैनसिंह महेचा)

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, आयुक्तालय जोधपुर





